

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४६०] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर ३०, १९८३/अग्रहायण ९, १९०५
No. 460] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 30, 1983/AGRAHAYANA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, ३० नवम्बर, १९८३

सीमा-शुल्क

सं० का० वि० ८७१(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, १९६२ (१९६२ का ५२) की धारा २५ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या २३२-सीमाशुल्क तारीख ५ दिसंबर, १९७९ में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना के दूसरे पैरा में “30 नवंबर, 1983” अंकों और शब्दों के स्थान पर “31 मई, 1984” अंक और शब्द रखे जायेंगे।

[सं० 316 ए/फा० सं० 355/195/83-सीमाशुल्क-I]

एन० शशीधरन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th November, 1983

CUSTOMS

G. S. R. 871(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 232-Customs, dated the 5th December, 1979, namely :—

In the said notification in the second paragraph, for the figures, letters and word “30th November, 1983”, the figures, letters and word “31st May, 1984” shall be substituted.

[No. 316A/F. No. 355/195/83-Cus. I]

N. SASIDHARAN, Under Secy.